भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या –3161
दिनांक 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनआरआई के लिए ऐप

3161. **श्री सुधीर गुप्ताः**
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाणः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों को भूमि और संपत्ति के मुद्दों के संबंध में बहुत–सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लंबे समय तक देश में नहीं रहने के कारण अक्सर बेईमान लोगों द्वारा उनका शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं या विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे अनिवासी भारतीयों की समस्याओं को कम करने के लिए कोई ऐप शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (घ) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित भारतीय नागरिकों के संबंध में भूमि और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जैसे ही विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से संपत्ति संबंधी शिकायतें मंत्रालय अथवा विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों को प्राप्त होती हैं, उन्हें तत्काल उचित स्तर पर राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों का एनआरआई विभाग शामिल है। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में आयोजित किए जा रहे 'विदेश संपर्क कार्यक्रमों' के तहत राज्य आउटरीच पहलों के दौरान, मंत्रालय द्वारा ऐसे मुद्दों को राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर भी उठाया जाता है। जनवरी 2021 से जून 2024 तक विगत कुछ वर्षों में मंत्रालय द्वारा अनिवासी भारतीयों से प्राप्त संपत्ति संबंधी शिकायतों का राज्यवार विवरण अनुबंध–क में संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने अनिवासी भारतीयों के भूमि और संपत्ति विवादों सहित अन्य मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए भारतीय मिशनों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। शिकायतों का समाधान कॉल, वॉक–इन, ई–मेल, सोशल मीडिया, 24x7 हेल्पलाइन और ओपन हाउस जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से किया जाता है। आवश्यकतानुसार, प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु इन मुद्दों को नियोक्ताओं और मेज़बान सरकारों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठाया जाता है। यदि समस्या भारत की राज्य सरकारों से संबंधित होता है, तो इसे समाधान हेतु राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस समय अनिवासी भारतीयों के संबंध में संपत्ति संबंधी मामलों के लिए किसी नए मोबाइल एप्लिकेशन को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुबंध–क

जनवरी, 2021 से जून, 2024 तक प्राप्त एनआरआई संपत्ति विवादों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार डाटा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल
1.	पंजाब	11
2.	दिल्ली	12
3.	कर्नाटक	8
4.	उत्तर प्रदेश	18
5.	केरल	11
6.	गुजरात	2
7.	हरियाणा	10
8.	महाराष्ट्र	9
9.	तेलंगाना	3
10.	राजस्थान	5
11.	तमिलनाडु	22
12.	आंध्र प्रदेश	8
13.	मध्य प्रदेश	5
14.	बिहार	7
15.	पश्चिम बंगाल	2
16.	ओडिशा	1
17.	पुदुचेरी	2
18.	झारखंड	4
कुल		140

*****